अध्याय - IV

प्रतिपूरक वनरोपण निधियों का उपयोग

4.1 पृष्ठभूमि

नवम्बर 2006 को तदर्थ कैम्पा के पास पडी राशि ₹ 1,200.31 करोड़ थीं, यह 30 जून 2009 को ₹ 9,932.13 करोड़ तक और आगे 31 मार्च 2012 को ₹ 23,608 करोड़ तक बढ़ गई थी।

फरवरी 2007 तथा अप्रैल 2007 में आयोजित तदर्थ कैम्पा की पाचवीं तथा छठी बैठक में राज्यों/यूटी को चालू सीए परियोजनाओं के लिए प्रतिपूरक वनरोपण धन जारी करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। अप्रैल 2008 में आयोजित तदर्थ कैम्पा की आठवीं बैठक में यह सामने आया कि निधियां जारी करने के राज्यों से अनेक अनुरोधों के बावजूद उच्चतम न्यायालय से इस संबंध में कार्य करने के अधिकार के अभाव में तदर्थ कैम्पा ऐसा करने में असमर्थ था। मई 2009 में आयोजित तदर्थ कैम्पा की दसवीं बैठक में यह पाया गयाथा कि राज्यों /यूटी ने एपीओ अग्रसारित किए जिनमें तुलनीयता की कमी थीं इसलिए यह निर्णय किया गया कि राज्य फिर एपीओ तैयार करें और धन का निर्गम राज्यों से सुसंगत तथा तुलनीय प्रस्तावों के विश्लेषण पर तथा इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर आधारित होगा इसलिए 2009 मध्य तक यद्यपि सीएएफ में निधियों का संचय हो रहा था, फिर भी निर्गम नहीं किए गए थे।

निधियों के निर्गम तथा निगरानी से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय के आदेश नीचे संक्षिप्तीकृत है :

निधियों का निर्गम	• उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10 जुलाई 2009 में संबंधित राज्य/यूटी से संबंधित मूल राशि के 10 प्रतिशत के अनुपात में राज्य कैम्पाओं को अगले पांच वर्षों के लिए फिलहाल लगभग ₹ 1000 करोड़ प्रति वर्ष की राशि जारी करने के लिए तदर्थ कैम्पा को निर्देश दिया। • एनपीवी तथा संरक्षित क्षेत्रों के प्रति राशि योजना के राज्य स्तर कार्यकारी समितियों द्वारा समीक्षा किए जाने और प्रचालनों की वार्षिक योजना के संचालन समिति द्वारा अनुमोदन करने के बाद जारी की जानी थी। • सीए, एसीए, पीसीए, तथा जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना के प्रति राशि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन देते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पहले ही अनुमोदित विशिष्ट कार्य आरम्भ करने के लिए तत्काल राज्यों/यूटी के संबंधित बैंक खातों में जारी की जानी थी।

निधियों की निगरानी	• उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29 अक्तूबर 2002 के अनुसार सहमत निगरानी की एक स्वतन्त्र प्रणाली विकसित की जानी थी और निधि का प्रभावी तथा उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिपूरक वनरोपण निधि के माध्यम से लागू की जानी थी। • जुलाई 2009 में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य कैम्पा को जारी राशि की पांच प्रतिशत राशि भी जारी की जानी थी और निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए और विभिन्न योजनाओं, जैसी कि राज्य कैम्पा के मार्ग निर्देशों के पैरा 19 में दी गई है, के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद (एनसीएसी) द्वारा उपयोग की जानी थी। • इसके अतिरिक्त अगस्त 2009 में अधिसूचित राज्य कैम्पा मार्ग निर्देश ने भी निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए निधियों के दो प्रतिशत तक उदिदष्ट करने के लिए राज्य कैम्पा को प्राधिकृत किया।

स्थिति की पुष्टि करते हुए तदर्थ कैम्पा ने अपने उत्तर (अप्रैल 2013) में बताया कि निधियां जो मई 2006 से आरम्भ कर तदर्थ कैम्पा को अन्तरित की गई थीं, इस निकाय के पास रहीं और समय–समय पर राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त प्रतिपूरक उदग्रहणों की नई प्राप्तियों के साथ संचित हो रही थीं। यह केवल जुलाई 2009 में हुआ था कि उच्चतम न्यायालय ने राज्य कैम्पाओं को निधियां जारी करने की अनुमति दी जो उनके अनुमोदन से जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार गठित किए गए थे। यहाँ यह विचारणीय है कि मई 2006 तथा जुलाई 2009 के बीच प्रतिपूरक वनरोपण हेतु कोई निधियां जारी नहीं की गई थीं और तदर्थ कैम्पा ने 17 अगस्त 2009 से निधियां जारी करना आरम्भ किया।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में तदर्थ कैम्पा ने 2009 के बाद से निधियां जारी करना आरम्भ किया। तालिका 28 में 31 मार्च 2012 तक संचित निधियों और 2009 तथा 2012 के बीच जारी निधियों की संकलित स्थिति दर्शायी गई हैं।

तालिका 28 : 31 मार्च 2012 तक संचित निधियों और 2009 तथा 2012 के बीच जारी निधियों की राज्य/यूटीवार संकलित स्थिति

(₹ करोड़ में)

क. सं	राज्य/यूटी	31 मार्च 2012 तक तदर्थ कैम्पा के पास कुल शेष (ब्याज सहित)	तदर्थ कैम्पा द्वारा कुल निर्गम (2009–10 से 2011–12)
1	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	22.98	1.89
2	आंध्रप्रदेश	2,359.09	329.09
3	अरूणाचलप्रदेश	799.01	75.35
4	असम	353.81	17.17

क. सं	राज्य/यूटी	31 मार्च 2012 तक तदर्थ कैम्पा के पास कुल शेष (ब्याज सहित)	तदर्थ कैम्पा द्वारा कुल निर्गम (2009–10 से 2011–12)
5	बिहार	167.20	24.44
6	चण्डीगढ़	6.89	0.31
7	छत्तीसगढ़	2,239.09	356.86
8	दादरा एवं नगर हवेली	10.73	0.32
9	दमन एवं दीव	0.77	Nil
10	दिल्ली	37.20	3.25
11	गोवा	171.71	22.37
12	गुजरात	691.44	80.42
13	हरियाणा	390.34	38.00
14	हिमाचल प्रदेश	1,131.44	135.97
15	जम्मू कश्मीर	139.89	-
16	झारखण्ड	2,057.88	260.66
17	कर्नाटक	1,028.60	151.04
18	केरल	37.37	1.75
19	लक्षद्वीप	-	-
20	मध्यप्रदेश	1,341.19	157.53
21	महाराष्ट्र	1,859.09	257.47
22	मणिपुर	37.33	2.08
23	मेघालय	96.92	0.10
24	मिजोरम	12.42	-
25	नागालैण्ड	-	-
26	ओडिशा	4,570.17	437.26
27	पंजाब	464.08	68.98
28	पुडुचेरी	-	-
29	राजस्थान	857.07	106.55
30	सिक्किम	202.45	27.28
31	तमिलनाडू	8,832.95	3.67
32	त्रिपुरा	92.73	6.13
33	उत्तरप्रदेश	752.94	82.45
34	उत्तराखण्ड	1,527.93	164.40
35	पश्चिम बंगाल	114.96	16.42
	जोड़	**23,607.67**	**2,829.21**

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के नियम 11(i) के अनुसार राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध धन प्रचालन की अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुसार वनों तथा वन्यजीव प्रबन्धन के विकास, अनुरक्षण तथा सुरक्षा के प्रति व्यय पूरा करने के लिए उपयोग किया जाना था।

तदर्थ कैम्पा को संबंधित राज्यों/यूटी से प्राप्त प्रचालन की वार्षिक योजना के आधार पर निधियां जारी की जानी थीं। ये योजनाएं राज्य स्तर कार्यकारी समिति द्वारा बनाई और तदर्थ कैम्पा को भेजे जाने से पूर्व संचालन समिति द्वारा अनुमोदित की जानी थीं। जारी निधियाँ तब कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा निधियों के उपयोग के लिए डीएफओ के बीच नोडल अधिकारियों द्वारा वितरित की जानी थीं। निधियों के निर्गम की कार्यविधि को चार्ट 8 में सचित्र दर्शाया गया है।

चार्ट 8: निधियों के निर्गम की कार्यविधि

4.2 प्राप्त निधियों का कम उपयोग

एनपीवी तथा संरक्षित क्षेत्र के लिए निधियां योजनाओं के राज्य स्तर कार्यकारी समितियों द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद जारी की जानी थीं। सीए, एसीए, पीसीए तथा जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना के प्रति राशियां वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन देते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पहले ही अनुमोदित स्थल विशेष कार्यों को करने के लिए जारी की जानी थीं। तालिका 29 में निधियों की राज्य/यूटी वार प्राप्ति, व्यय तथा अप्रयुक्त रहने का ब्यौरा है।

तालिका 29 : प्राप्तियों, व्यय तथा अप्रयुक्त राशियों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क. सं.	राज्य/यूटी	कैम्पा के अनुसार कुल प्राप्तियां (2009–12)	राज्य रिपोर्ट के अनुसार किया गया कुल व्यय (2009–12)	अप्रयुक्त राशि	उपयोग प्रतिशतता
1	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	1.89	0.69	1.20	63
2	आन्ध्रप्रदेश	329.09	247.26	81.83	25
3	अरूणाचल प्रदेश	75.35	6.53	68.82	91

क. सं.	राज्य/यूटी	कैम्पा के अनुसार कुल प्राप्तियां (2009–12)	राज्य रिपोर्ट के अनुसार किया गया कुल व्यय (2009–12)	अप्रयुक्त राशि	उपयोग प्रतिशतता
4	असम	22.83	11.54	11.29	49
5	बिहार	24.44	5.60	18.84	77
6	चण्डीगढ़	0.31	0.30	0.01	3
7	छत्तीसगढ़	357.95	118.04	239.91	67
8	दिल्ली	3.25	1.20	2.05	63
9	गोवा	22.37	10.89	11.48	51
10	गुजरात	80.42	70.11	10.31	13
11	हरियाणा	38.00	27.40	10.60	28
12	हिमाचल प्रदेश	135.98	79.97	56.01	41
13	जम्मू–कश्मीर*	67.09	55.68	11.41	17
14	झारखण्ड	260.66	185.31	75.35	29
15	कर्नाटक	151.04	139.38	11.66	8
16	केरल	1.37	0.97	0.40	29
17	मध्यप्रदेश	157.54	82.53	75.01	48
18	महाराष्ट्र	256.64	219.00	37.64	15
19	मणिपुर	2.09	2.00	0.09	4
20	मेघालय	0.10	0	0.10	100
21	मिजोरम	0	0	0	0
22	ओडिशा	447.33	219.85	227.48	51
23	पंजाब	81.65	45.41	36.24	44
24	राजस्थान	106.54	63.00	43.54	41
25	सिक्किम	27.28	27.85	-0.57	-2
26	तमिलनाडु	5.05	2.98	2.07	41
27	त्रिपुरा	6.12	1.93	4.19	68
28	उत्तरप्रदेश	82.45	38.56	43.89	53
29	उत्तराखण्ड	164.40	103.88	60.52	37
30	पश्चिम बंगाल	16.42	7.98	8.44	51
	जोड़	**2,925.65**	**1,775.84**	**1,149.81**	**39**

* जम्मू –कश्मीर के मामले में प्राप्तियां जे एण्ड के राज्य कैम्पा द्वारा जारी राशियां हैं।

जैसा तालिका 29 से देखा जा सकता है, 2009–12 की अवधि के दौरान तदर्थ कैम्पा से राज्य/यूटी कैम्पा द्वारा प्राप्त निधियों की राशि ₹ 2,925.65 करोड़ (जम्मू कश्मीर सहित) थी जिसमें से ₹ 1,149.81 करोड़ अप्रयुक्त छोड़ते हुए राज्यों/यूटी द्वारा केवल ₹ 1,775.84 करोड़ खर्च किया जा सका।

जबकि जारी राशियों की तुलना में निधियों के कम उपयोग की प्रतिशतता 39 थी वहीं यह मेघालय (100 प्रतिशत), अरूणाचल प्रदेश (91 प्रतिशत), बिहार (77 प्रतिशत), त्रिपुरा (68 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (67 प्रतिशत) अण्डमान – निकोबार द्वीप समूह, (63 प्रतिशत) तथा दिल्ली (63 प्रतिशत)। बेहतर निष्पादकों में सिक्किम (0 प्रतिशत), चण्डीगढ़ (3 प्रतिशत), कर्नाटक (8 प्रतिशत) व मणिपुर (4 प्रतिशत) थे।

तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियां एपीओ के प्रति थीं जिनमें उन योजनाओं को भी शामिल किया गया जो निर्बाधन देने के समय पर पहचानी गई थीं और जिनके लिए निर्बाधन देने के समय पर भूमि की पहचान कर ली गई है, का दावा किया गया था। तथ्य यह शेष रहा कि अनुमोदित योजनाओं के आधार पर जारी धन की बड़ी राशियां उपयोग नहीं की जा सकीं। इसने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/राज्य वन विभागों द्वारा खराब योजना तथा निष्पादन को दर्शाया।

निधियों का कम उपयोग राज्य/यूटी वनविभागों की अवशोषक क्षमता के बारे में चिन्ता का विषय है। यह चिन्ता आगे और सुदृढ़ हो गई थी जब उसे 31 मार्च 2012 तक तदर्थ कैम्पा के पास संचित पडे अन्य ₹23,607.67 करोड़ के संदर्भ में देखा गया जिसे वनरोपण, विकास, संरक्षण तथा वनभूमि की सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए राज्य कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से उपयोग किया जाना है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि 2006 तथा 2009 के बीच राज्यों को निधियां जारी नहीं की गई थीं और केवल जब उच्चतम न्यायालय ने अनुमति दी राज्यों को निधियां जारी की गई थीं। उन्होनें आगे बताया कि निधियां काफी देरी से अप्रैल 2010 में प्रतिपूरक वनरोपण कार्यकलाप करने के लिए जारी की गई थीं और ऐसे कार्यकलाप आरम्भ करने के लिए काफी प्रारम्भिक कार्य अपेक्षित होता है।यह आगे बताया गया कि निधियां उपलब्ध हो जाने के बाद तत्काल वनरोपण कार्य आरम्भ करना सम्भव नहीं हुआ था, इस प्रकार राज्यों को निधियों के विलम्बित वितरण और इन निधियों से कार्यकलाप आरम्भ करने के बीच का समय अन्तराल अपरिहार्य था और इसके परिणामस्वरूप निधियों का कम उपयोग हुआ।

जबकि यह एक तथ्य है कि सीए निधियां केवल अगस्त 2009 के बाद से जारी की गई थीं वहीं जारी निधियों के कम उपयोग का औचित्य स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये निधियां राज्यों/यूटी से प्राप्त एपीओ के आधार पर जारी की गई थीं और एपीओ में निर्दिष्ट कार्यकलापों पर पूर्णतया उपयोग की जानी चाहिए थीं जिनमें कुछ राज्यों में प्रारम्भिक कार्य शामिल किए गए। यह खराब योजना, कार्यों के अप्रभावी निष्पादन तथा जारी निधियों की अवशोषी क्षमता की कमी दर्शाता है।

4.3 राज्य कैम्पाओं के पास निधियों का संचय

प्रतिपूरक वनरोपण निधि तथा इसके प्रबन्ध के लिए एक निकाय (कैम्पा) के सृजन का निर्देश देने वाले अक्तूबर 2002 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के मूल की मुख्य चिन्ता प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त और अव्ययित पड़ी अथवा राज्यों द्वारा दुरूपयोग की जा रही राशियों के संचय की थी। 2009 से तदर्थ कैम्पा ने अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/यूटी को प्रतिपूरक वनरोपण निधि जारी करना आरम्भ किया थापरन्तु , 2009–12 के दौरान जारी राशि का केवल 61 प्रतिशत वास्तव में खर्च किया जा सका। चूकि अव्ययित शेष न तो वित्तीय अवधि (1 जुलाई–30 जून वर्तमान मामले में) की समाप्ति पर तदर्थ कैम्पा को लौटाए गए और न ही अनुवर्ती वर्ष निर्गमों में ये समायोजित किए गए थे इसके परिणामस्वरूप राज्यों/यूटी के पास प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के संचय की प्रक्रिया की स्थापना हुई जिसे यदि अजांचित जारी रखना अनुमत किया गया तो इसका परिणाम 2002 से पूर्व की स्थिति का दोहराया जाना हो सकता है जिसका समाधान केन्द्रीय कैम्पा के सृजन द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना है।

राज्यों/यूटी में लेखापरीक्षा में संग्रहीत सूचना के आधार पर जून 2010, 2011, तथा 2012 के अन्त में संचित शेष की स्थिति तालिका 30 में दी गई है।

तालिका 30 : राज्य /यूटी कैम्पा के पास निधियों के अन्तशेष की राज्य वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/यूटी	2009-10	2010-11	2011-12
1	अण्डमान–निकोबार	0	0	1.20
2	आंध्रप्रदेश	78.91	116.82	81.83
3	अरूणाचल प्रदेश	0.00	27.63	68.82
4	असम	12.38	22.71	11.29
5	बिहार	7.73	10.80	18.84
6	चण्डीगढ़	0.18	0.04	0.01
7	छत्तीसगढ़	119.27	234.29	239.91
8	दिल्ली	1.85	3.24	2.05
9	गोवा	12.12	17.46	11.48
10	गुजरात	16.39	12.78	10.31
11	हरियाणा	19.11	26.77	10.60
12	हिमाचल प्रदेश	35.33	40.43	56.01
13	जम्मू–कश्मीर	8.40	8.10	11.41
14	झारखण्ड	95.00	122.64	75.35
15	कर्नाटक	58.56	28.82	11.66
16	केरल	0.40	0.40	0.40
17	मध्यप्रदेश	53.05	71.36	75.01
18	महाराष्ट्र	0.00	0.00	37.64
19	मणिपुर	0.75	0.20	0.09

क्र. सं.	राज्य/यूटी	2009-10	2010-11	2011-12
20	मेघालय	0.10	0.10	0.10
21	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
22	ओडिशा	6.97	74.99	227.48
23	पंजाब	33.05	44.74	36.24
24	राजस्थान	32.59	48.83	43.54
25	सिक्किम	3.58	0.46	-0.57
26	तमिलनाडु	1.97	2.00	2.07
27	त्रिपुरा	3.54	5.58	4.19
28	उत्तरप्रदेश	0	14.59	43.89
29	उत्तराखण्ड	81.65	120.80	60.52
30	पश्चिम बंगाल	5.30	6.46	8.44
	जोड़	**688.18**	**1,063.04**	**1,149.81**

अधिकांश राज्यों/यूटी में 2009–10 में जारी राशि खर्च नहीं की जा सकी। इसे विलम्बित निर्गमों तथा एपीओ प्रस्तुत न करने को आरोपित किया जा सका। कुछ राज्यों में निर्गमों की तुलना में कम खर्च करना चिरस्थायी था जैसा तीन वर्ष अवधि में संचित आरक्षित की क्रमिक वृद्धि में दर्शाया गया। यह चिन्ता के साथ माना जाता है कि 30 राज्यों/यूटी जिनसे डाटा संग्रहीत, किए जा सके, में से 11[1] में अव्ययित संचित शेष की राशि तेजी से बढ़ रही थी। अधिकांश राज्यों/यूटी ने दूसरे तथा तीसरे वर्ष में अपना खर्च करने का स्वरूप सुधार लिया।

अपने उत्तर (अप्रैल 2013) में एमओईएफ ने स्वीकार किया कि निधियां लगातार कई वर्षों के अन्तराल के बाद जारी की गई थीं और जारी किए जाने के तत्काल बाद उन्हें खर्च करने में राज्यों की असमर्थता स्पष्ट रूप से साक्ष्य था। उन्होने आगे बताया कि अव्ययित राशियों को वापस करने का कोई प्रश्न ही नहीं था क्योंकि ये अव्यपगमनीय थीं और अग्रसारित की जानी थीं। उन्होने आगे बताया कि तालिका 30 में यथा उल्लिखित अन्त शेषों के तथ्य की सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा पुष्टि की जानी अपेक्षित है। तथापि उन्होने निधियों के लगातार कम खर्च करने के तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि निधियां काफी वर्षों के अन्तराल के बाद संस्वीकृत की गई थीं। यह स्वाभाविक था कि इसने विशेषकर प्रतिपूरक वनरोपण के क्षेत्र में गति लाने में व्यय के लिए उचित समय लिया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निधियां राज्यों से एपीओ के आधार पर जारी की गई थीं और एपीओ के अनुसार खर्च की जानी चाहिए थीं। वर्तमान प्राकृतिक वनों के संरक्षण, सुरक्षा, पुनरूत्पादन तथा प्रबन्धन आदि सहित प्रतिपूरक कार्यकलाप करना वन विभाग के लिए नया कार्यकलाप नहीं था जो इन कार्यकलापों की योजना तथा निष्पादन के लिए सम्भावत: कौशल तथा अनुभव रखता है।

[1]अण्डमान – निकोबार,अरूणाचलप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश,, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

सितम्बर –अक्तूबर 2011 में आयोजित अपनी 17 वीं बैठक में तदर्थ कैम्पा ने यह माना कि कुछ राज्यों में वर्ष 2009–10 में संस्वीकृत निधियां पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं की गई थीं। यह निर्णय किया गया था कि अपने आदेश दिनांक 10 जुलाई 2009 में उच्चतम न्यायालय की अभ्युक्तियां कि अतिरिक्त निधियों, यदि कोई हो, के निर्गम की सिफारिशें राज्य स्तर कैम्पा द्वारा की गई प्रगति को देखने के बाद समय समय पर यथा समय की जाएंगी और लेखाकरण निगरानी की प्रभावकारिता तथा मूल्यांकन प्रणालियों का प्रभाव देखा जाएगा। तथापि इन निर्णयों तथा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई के साक्ष्य हमें नही मिले।

एमओईएफ ने बताया (अप्रैल 2013) कि हाल के वर्षों में राज्यों के अव्ययित शेषों की राज्यों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों, ई–ग्रीन वाच, जहॉ लागू हो तथा कैम्पा निधियों से किए गए कार्य के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम काआर्डिनेटस द्वारा ध्यान से निगरानी की जा रही थी और कि भावी वर्षों का आवंटन उपर्युक्त प्राचालों पर राज्य कैम्पा से इनपुट की केवल ध्यान से जांच करने के बाद किया जाएगा। यह आगे बताया गया था कि कुछ पिछड़े राज्यों जहॉ कुछ "प्रमुख" राज्यों के मामले सहित विगत में खर्च आवंटन के अनुसार नहीं हुआ वहॉ यह धीरे धीरे परन्तु निश्चित रूप से गति पकड रहा है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण तथा आश्वासन के बावजूद सीए के सम्बन्ध में यह एक गम्भीर चिन्ता का मामला है कि एक अनियमित स्थिति बन गई है। जबकि तदर्थ कैम्पा के पास सीएएफ में ₹ 23,607.67 करोड़ की निधियां पडी हुई हैं वहीं समीक्षा अवधि के दौरान कवर किए जाने के लिए योजित केवल 44 प्रतिशत गैर वन भूमि और 49 प्रतिशत निम्नीकृत वन क्षेत्र पर सीए किया गया था तथा इस प्रयोजन हेतु 2009–12 के बीच संस्वीकृत निधियों का 39 प्रतिशत अप्रयुक्त रहा।

4.4 अनुमोदन बिना/विलम्बित एपीओ पर निधियों का निर्गम

निर्धारित कार्यविधि के अनुसार तदर्थ कैम्पा को राज्य कैम्पा से अनुमोदित एपीओ प्राप्त करने के बाद निधियां जारी करनी थीं। राज्य/यूटी वार और वर्षवार दृष्टान्तों के ब्यौरे, जिनमें एपीओ के अनुमोदन के बिना तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियां जारी की गई थीं, तालिका 31 में हैं।

तालिका 31 : उदाहरण जब अनुमोदित एपीओ प्राप्त किए बिना राज्य कैम्पा को निधियां जारी की गई थीं

वर्ष	राज्य/यूटी द्वारा एपीओ तैयार किए बिना तदर्थ कैम्पा द्वारा निधि जारी करना	अनुमोदित एपीओ की प्राप्ति बिना तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियां जारी करना
2009-10*	असम, दिल्ली, गोवा, मध्यप्रदेश, राजस्थान,, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल	आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, ओडिशा तथा सिक्किम
2010-11	असम, चण्डीगढ़, दिल्ली, मध्यप्रदेश, ओडिशा, तथा पश्चिम बंगाल,	अरूणाचलप्रदेश, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश,सिक्किम तथा उत्तराखण्ड

** एपीओ तैयार करने के सम्बन्ध में वर्ष 2009–10 के लिए बिहार, गुजरात, तथा मेघालय द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।*

एपीओ की प्राप्ति तथा तैयारी बिना तदर्थ कैम्पा द्वारा राज्यों को अन्तरित निधियां 2009–10 तथा 2010–11 वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 653.43 करोड़ तथा ₹. 406.43 करोड़ थीं।

जम्मू – कश्मीर में राज्य का समग्र एपीओ तैयार नहीं किया गया था। अलग–अलग कार्यान्वयक एजेंसियों (आईए) द्वारा अलग–अलग एपीओ तैयार किए गए थे। जे एण्ड के में 45 आईए थे। कार्यान्वयक एजेंसियों ने अपने सम्बन्धित क्षेत्रीय मण्डलों के संबंध में प्रथम चरण के रूप में पांच वर्षों (2010–15) के लिए परियोजना प्रस्ताव (पीपी) तैयार किए। एपीओ इन पीपी से निकाले और सिफारिशों के लिए कैम्पा की कार्यकारी समिति को तथा अन्तिम अनुमोदन के लिए संचालन समिति को प्रस्तुतीकरण के लिए प्रस्तुत किए जा रहे थे। संचालन समिति ने 2010–11 में ₹ 32.33 करोड़ के 40 एपीओ तथा 2011–12 में ₹58.37 करोड़ के 65 एपीओ अनुमोदित किए।

उपर्युक्त से यह देखा गया था कि एपीओ तैयार करने से सम्बन्धित राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों का एक समान अनुपालन नहीं किया गया था और संचालन समिति द्वारा अनुमोदित एपीओ प्राप्त किए बिना तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियां जारी की गई थीं। इसलिए यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियां राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रयोजनों हेतु उपयोग की गई थीं और जारी निधियों का कम उपयोग भी आंशिक रूप से खराब योजना को आरोपित किया जा सकेगा।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई आपत्तियां पूर्णतया सही नहीं थीं। मई 2009 से पूर्व राज्यों द्वारा भेजे गए एपीओ में तुलनात्मकता की कमी थी और यह निर्णय लिया गया था कि राज्य एकवार फिर एपीओ तैयार करें। जून 2010 में तीसरी एनसीएसी बैठक तक एपीओ का प्रोफार्मा केन्द्रीय रूप से निर्धारित नहीं किया गया था। इसी बीच यह मानकर कि वर्ष 2006 से राज्यों को निधियां जारी नहीं की गई थीं और निधियां जारी करने के लिए इसे उचित माना गया था क्योंकि राज्यों ने कुछ एपीओ भेजे थे फिर भी तब तक कोई प्रोफार्मा निर्धारित नहीं किया गया था। यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि राज्य कोई और अधिक समय बर्बाद किए बिना वनरोपण कार्यकलाप आरम्भ करे।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एपीओ तैयारी/अनुमोदन के बिना 18 राज्यों/यूटी (2009–10) तथा 11 राज्यों/यूटी (2010–11) को धन जारी किया गया था। जुलाई 2009 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार सीए, एसीए, पीसीए तथा सीएटी योजना के प्रति राशि एफसी अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमोदन करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पहले ही अनुमोदित स्थल विशेष कार्य आरम्भ करने के लिए तत्काल राज्यों/यूटी के सम्बन्धित बैंक खातों को जारी की जानी थी और एनपीवी तथा संरक्षित क्षेत्र के प्रति राशि राज्य स्तर कार्यकारी समिति योजनाओं की समीक्षा किए जाने तथा संचालन समिति द्वारा एपीओ का अनुमोदन किए जाने के बाद जारी की जानी थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/तदर्थ कैम्पा ने यह सुनिश्चित किए बिना निधियां जारी कीं कि सीए, एसीए, पीसीए, तथा सीएटी योजना की निधियां एफसी अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमोदन करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पहले ही अनुमोदित स्थल विशेष कार्य करने के लिए उपयोग की गई हैं न कि एनपीवी तथा संरक्षित क्षेत्र की निधियां अनुमोदित एपीओ के अनुसार उपयोग की गई हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास गैर वन उपयोग हेतु वन भूमि के विपथन का अनुमोदन करते समय उनके द्वारा अनुमोदित सभी सीए

कार्यों का एक डाटाबेस होना चाहिए तथा तदर्थ कैम्पा से सीए निधियों से निधियां स्थलों तथा कार्यों के लिए जारी की जानी चाहिए जैसा अनुमोदित विपथनों में उल्लिखित है।

4.5 तदर्थ कैम्पा तथा राज्य/यूटी अभिलेखों के अनुसार निर्गमों में असमाशोधित विसंगतियां

हमने राज्यों/यूटी को तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी के रूप में दर्शाई राशि और प्राप्त के रूप में राज्यों/यूटी में दर्ज राशियों की प्रति जांच की। दो निकायों के अभिलेखों में पाए गए अन्तर के ब्यौरे तालिका 32 में दिए गए हैं।

तालिका32 : 2009–12 के दौरान तदर्थ कैम्पा से निर्गमों तथा राज्य/यूटी कैम्पा में प्राप्तियों में अन्तर के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	राज्य/यूटी	तदर्थ कैम्पा के अनुसार कुल निर्गम (2009–10 से 2011–12)	राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त हुई बताई गई कुल राशि (2009–2012)	जारी तथा प्राप्त निधियों में अन्तर की प्रतिशतता*
1	असम	17.17	22.83	(-) 32.96
2	छत्तीसगढ़	356.86	357.95	(-) 0.31
3	केरल	1.75	1.37	21.71
4	मध्यप्रदेश	157.53	157.54	(-) 0.01
5	महाराष्ट्र	257.47	256.64	0.32
6	ओडिशा	437.26	447.33	(-) 2.30
7	पंजाब	68.98	81.65	(-) 18.37
8	तमिलनाडु	3.67	5.05	(-) 37.60
	जोड़	1,300.69	1,330.36	(-) 2.28

* *(–) राज्य कैम्पा द्वारा कम प्राप्ति दर्शाता है।*

जैसा तालिका 32 से स्पष्ट है नमूना जांचित 30 राज्यों/यूटी में से आठ में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियां राज्य नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्त हुई दर्शाई गई राशि से मेल नहीं खाती।

तीन वर्ष अवधि (2009–12) के लिए ऐसे अन्तर और मिलान की कमी तदर्थ राज्य कैम्पा द्वारा खराब प्रबन्धन, आन्तरिक नियंत्रण तथा निगरानी को दर्शाते हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि राज्य कैम्पा को वितरित राशियां राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से आरटीजीएस प्रेषण के माध्यम से भेजी गई हैं इसलिए तदर्थ कैम्पा से प्रेषण तथा नोडल अधिकारी द्वारा उनकी प्राप्ति में अन्तर होने की कोई गुंजाइश नहीं है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने केवल तदर्थ कैम्पा के आंकड़ो की पुष्टि की और कहा कि राज्य कैम्पाओं द्वारा प्राप्त निधियों से सम्बन्धित स्थिति पर उनके द्वारा उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है। यह केवल लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि करता है कि तदर्थ कैम्पा तथा राज्य कैम्पा के बीच मिलान तथा निगरानी की कोई मानक कार्यविधि नहीं है।

4.6 संघटक वार निधियों का निर्गम

उच्चतम न्यायालय के 10 जुलाई 2009 के आधार पर राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार विभिन्न संघटकों के अन्तर्गत संग्रहीत निधियों का संवितरण नीचे दिए अनुसार निर्धारित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना था :

संघटक	प्रयोजन
प्रतिपूरक वनरोपण/ अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अधीन वन भूमि के विपथन के प्रस्तावों के साथ–साथ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त स्थल विशिष्ट योजनाओं के अनुसार उपयोग किया जाना। जैसा राज्य एपीओ से देखा गया, इनमें सामान्यतया नर्सरी वृद्धि, अग्रिम मिटटी कार्य और रोपण शामिल होते हैं।
निवल वर्तमान मूल्य	प्राकृतिक सहायता प्राप्त पुनरूत्पादन, वन प्रबन्धन तथा सुरक्षा, आधारभूत संरचना विकास, वन्यजीव सुरक्षा और प्रबन्धन, लकड़ी की आपूर्ति तथा अन्य वन उत्पाद बचत साधनों की आपूर्ति और अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाना। जैसा राज्य एपीओ से देखा गया इनमें सामान्यतया वन संरक्षण, आधारभूत संरचना एवं एचआरडी, वन्यजीव प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण, मिटटी एवं जल संरक्षण , वन पंचायतों को सुदृढ़ करना, अनुसंधान सहित सम्बद्ध कार्यकलाप, जैव विविधता प्रबन्धन, संविदात्मक नियुक्ति, निगरानी, परिचालन व्यय तथा आकस्मिक खर्चे शामिल होते हैं।
संरक्षित क्षेत्रों में वन भूमि के विपथन के मामलों में वसूले गए धन	सुरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यकलाप करने के लिए एकमात्र रूप से उपयोग किया जाना जैसाकि एपीओ से देखा गया इनमें क्षेत्र विशेष योजनाएं शामिल की गईं।

हमने देखा कि निधियों की प्राप्ति और इनके निर्गमों के संघटक वार ब्यौरे तदर्थ कैम्पा के पास उपलब्ध नहीं थे। इनके अभाव में हम यह आश्वासन निकालने में असमर्थ हैं कि प्रचालन की वार्षिक योजना में प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं के लिए राज्यों को किए गए निर्गम एक विशेष संघटक में राज्य के निधि संचय के प्रति लेखांकित किए जा रहे थे। तदर्थ कैम्पा के पास उपलब्ध सूचना केवल राज्यवार संचय की थी जो आगे मूल तथा ब्याज में बांटी गई थी।

हमारी लेखापरीक्षा के दौरान संघटक वार निर्गमों तथा उपयोग के निर्धारण के उददेश्य से राज्य महालेखाकारों ने प्रत्येक राज्य /यूटी में नोडल अधिकारियों से यह सूचना एकत्र करने का प्रयास किया। इस नमूना जांच के आधार पर एपीओ के अनुसार 2009 – 2012 तक संघटक वार निर्गम तालिका 33 में दिए गए हैं। इस लेखापरीक्षा में शामिल 30 राज्यों/यूटी में से चार[2] द्वारा यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

तालिका 33 : वार्षिक योजना प्रचालनों के अनुसार निधियों का संघटक वार निर्गम जैसे राज्यों/यूटी से प्राप्त किए गए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/यूटी	एनपीवी	सीए	वन्यजीव प्रबन्धन	सीएटीपी	अन्य	जोड़
1	अण्डमान – निकोबार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1.89
2	आंध्रप्रदेश	324.05	57.42	0	0	0.94	382.41
3	अरूणाचल प्रदेश	16.99	4.40	0.00	0.56	1.01	22.96
4	असम	29.99	68.63	11.47	0.00	17.72	127.81
5	बिहार	9.38	4.34	1.00	0.00	1.84	16.56
6	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31
7	छत्तीसगढ़	192.77	46.04	0.00	0.00	25.50	264.31
8	दिल्ली	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	3.25
9	गोवा	3.15	2.92	0.00	0.00	3.86	9.93
10	गुजरात	41.61	38.87	0.00	0.00	0.00	80.48
11	हरियाणा	23.76	13.71	0.00	1.28	0.03	38.78
12	हिमाचल प्रदेश	31.35	3.24	0.00	41.06	13.18	88.83
13	जम्मू–कश्मीर	0	0	0	0	67.09	67.09
14	झारखण्ड	260.66	0.00	0.00	0.00	0.00	260.66
15	कर्नाटक	120.82	27.26	0.00	8.49	0.00	156.57
16	केरल	3.40	0.35	0.00	0.00	0.32	4.07
17	मध्यप्रदेश	80.78	92.45	12.00	0.49	11.68	197.40
18	महाराष्ट्र	133.87	85.13	0.00	0.00	0.00	219.00
19	मणिपुर	0.00	0.05	1.60	0.00	0.31	1.96
20	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22	ओडिशा	147.68	161.55	50.00	0.00	74.90	434.13

[2] अण्डमान – निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल

क.सं.	राज्य/यूटी	एनपीवी	सीए	वन्यजीव प्रबन्धन	सीएटीपी	अन्य	जोड़
23	पंजाब	63.50	0.00	0.00	0.00	11.38	74.88
24	राजस्थान	53.10	16.84	12.06	0.00	3.55	85.55
25	सिक्किम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	27.28
26	तमिलनाडु	1.08	1.56	0.00	0.00	0.54	3.18
27	त्रिपुरा	4.54	0.35	0.00	0.00	0.00	4.89
28	उत्तरप्रदेश	11.94	34.07	0.00	0.00	2.53	48.54
29	उत्तराखण्ड	109.30	13.29	1.54	2.68	1.80	128.61
30	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	16.42
	जोड़	**1,663.72**	**672.47**	**89.67**	**54.56**	**238.49**	**2,767.75**

* जारी निधियों के संघटक वार ब्यौरे अण्डमान निकोबार, दिल्ली, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे इसलिए राज्य/यूटी द्वारा सीए निधियों की कुल राशि ली गई थी।

** तालिका 33 के आंकड़े कार्यान्वयक एजेंसियों को तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी राशियों के हैं इसलिए कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के आंकडे तालिका 28 तथा 29 से मेल नहीं खाएंगे।

उ.न. – उपलब्ध नहीं

संग्रहीत सीमित डाटा से यह प्रतीत होता है कि संघटक वार निर्गम (26 राज्य/यूटी) संघटकवार संग्रहण से अधिक नहीं थे। तथापि तदर्थ कैम्पा तथा राज्य/यूटी कैम्पा को उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संग्रहणों तथा निर्गमों का संघटक वार/राज्यवार डाटाबेस तैयार करना चाहिए।

जैसा तालिका 33 से देखा जा सकता है जारी निधियों का 60 प्रतिशत एनपीवी संघटक से, प्रतिपूरक वनरोपण संघटक से 24 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अन्य कार्यकलापों जैसे सड़क किनारे रोपण, खाली जगह भरने आदि से थे। इस वितरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सबसे ज्यादा जोर वर्तमान वन भूमि (अधिकांशतः एनपीवी के अन्तर्गत शामिल) की सुरक्षा तथा अनुरक्षण पर था और नवीनतम अधिग्रहीत राजस्व भूमि अथवा विपथन के कारण वन कटाई की प्रतिपूर्ति के लिए निम्नीकृत वनों पर नए रोपण पर कम ध्यान दिया गया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों में तदर्थ कैम्पा द्वारा निधियां संघटक वार जारी करने की अपेक्षा नहीं की गई। एकमात्र अपेक्षा अनुमोदित एपीओ के आधार पर निधियां जारी करने की थी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जुलाई 2009 के उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के उददेश्य से संघटक वार व्यय पर नजर रखने और निगरानी रखने के लिए संघटक वार निर्गमों का अभिलेख आवश्यक था परन्तु निधियों की प्राप्ति तथा इनके निर्गमों के संघटक वार ब्यौरे तदर्थ कैम्पा के पास उपलब्ध नहीं थे।

उच्चतम न्यायालय के जुलाई 2009 के आदेश के अनुसार सीए, एसीए, पीसीए, तथा सीएटी योजना के प्रति राशि एफसी अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमोदन करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पहले ही अनुमोदित स्थल विशेष कार्य करने के लिए तत्काल राज्यों/यूटी के सम्बन्धित बैंक खातों को जारी की जानी थी और एनपीवी तथा संरक्षित क्षेत्र के प्रति राशि राज्य स्तर कार्यकारी समिति द्वारा योजनाओं की समीक्षा किए जाने और संचालन समिति द्वारा एपीओ अनुमोदित किए जाने के बाद जारी की जानी थी। प्राप्त तथा वितरित निधि के संघटक वार ब्यौरे न रखकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन की निगरानी का तन्त्र स्थापित नहीं किया है।

4.7 राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों तथा राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद द्वारा प्राधिकृत न किया गया व्यय।

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के नियम 11(i) के अनुसार राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध धन अनुमोदित एपीओ के अनुसार वनों के विकास, अनुरक्षण तथा सुरक्षा और वन्यजीव प्रबन्धन के प्रति खर्च पूरा करने के लिए उपयोग किया जाना था।

एनसीएसी ने 24 जून 2010 तथा 24 जनवरी 2012 को आयोजित क्रमशः अपनी तीसरी तथा चौथी बैठकों में निर्देश दिया कि कैम्पा निधियों से कुछ व्यय जैसे प्रशासनिक खर्च, मुख्यालय में आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने पर व्यय , वाहनों पर पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक खर्च, कार्यालय, आवासीय भवन, वन अतिथि गृह, रेंज वन अधिकारी स्तर से ऊपर लिपिकवर्गीय कर्मचारी क्वाटर्स आदि के निर्माण, मरम्मत, पुनरूद्धार विशेषकर अधिकारियों आदि द्वारा उपयोग के लिए वाहनों की खरीद पर अनुमेय नहीं थे।

राज्य कैम्पा/नमूना मण्डल/नोडल अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 2009 – 12 के दौरान ₹ 51.93 करोड़ का व्यय राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों तथा एनसीएसी निर्देशों के उल्लंघन में किया गया था जैसा ब्यौरेवार तालिका 34 में दिया गया है।

तालिका 34 : राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों तथा राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद के निर्देशों के उल्लंघन में किया गया खर्च।

क्र. सं.	राज्य/यूटी	राशि (₹ करोड़ में)	विवरण
1	अरूणाचल प्रदेश	3.16	वाहनों की खरीद (₹.0.79करोड़) आवासीय भवनों का निर्माण (₹2.19 करोड़), कार्यालय उपकरण, मोबाईल तथा फर्नीचर (₹ 0.12करोड़) आदि
2	बिहार	4.51	2010–11 तथा 2011–12 के दौरान वाहनों की खरीद (₹ 3.38 करोड़), 2011–12 के दौरान आवासीय भवनों का निर्माण (₹ 1.13 करोड़)
3	छत्तीसगढ़	11.98	वाहनों की खरीद (₹ 1.30 करोड़) भवनों का निर्माण (₹ 5.82 करोड़ जिसमें ₹ 2.03 करोड़ पहले ही खर्च किया गया) और ईको पर्यटन (₹4.86 करोड़जिसमें ₹ 0.71 करोड़ पहले ही खर्च किया गया)

क. सं.	राज्य/यूटी	राशि (₹ करोड़ में)	विवरण
4	दिल्ली	0.06	मारूति जिप्सी की खरीद (₹ 0.05 करोड़) और छः मोबाइल फोन (₹ 0.29 लाख) और एक लैपटॉप (₹ 0.01करोड़)
5	गोवा	0.75	एक्जीक्यूटिव टेबल, वाहनों, कम्प्यूटरों/लैपटाप आदि की खरीद
6	हरियाणा	0.15	वन भवन बिल्डिंग का पुनरूद्धार
7	जम्मू–कश्मीर	0.31	कारपेट,लाईट एमिटिंग डायस, एयर कंडीशनर,आईपैड, प्रोजेक्टर, कार्यालय केबिन का संस्थापन, सोफा सैट बिजली ट्रांसफार्मर का संस्थापन, वाहनों आदि की खरीद।
8	कर्नाटक	6.71	वाहनों की खरीद (3.36 करोड़) अतिथि गृह/कार्यालय भवन का अनुरक्षण (₹ 2.55 करोड़) पुराने बीएफसी की सहायता (₹ 0.61 करोड़) और ट्री पार्क का सुधार (₹ 0.19 करोड़)
9	केरल	0.96	वाहनों की खरीद (₹ 0.96करोड़ अर्थात कुल प्रावधान का 70 प्रतिशत)
10	महाराष्ट्र	6.19	कार्यालय के लिए वाहनों, फर्नीचर, कम्प्यूटरों की खरीद, ईको टूरिजम, अतिथि गृह की मरम्मत तथा प्रशिक्षण (₹ 0.40 करोड़) और वन भवन का निर्माण तथा पुनरूद्धार (₹ 4.88 करोड़) वन भवन के लिए सौर ऊर्जा उपकरण कीखरीद (₹ 0.91 करोड़)
11	मणिपुर	0.26	सामुदायिक भवन का निर्माण, स्थानीय क्लब को सहायता, सिलाई मशीनों का वितरण तथा ईको टूरिज्म का विकास आदि
12	ओडिशा	0.07	वहन की खरीद
13	पंजाब	0.10	वाहनों आदि की खरीद
14	राजस्थान	2.04	भवन का अनुरक्षण, पीओएल प्रभार तथा सैल्यूलर फोन प्रभार
15	सिक्किम	2.24	वाहनों की खरीद (₹ 0.25 करोड़), वन सचिवालय भवन का विस्तार तथा घेराबन्दी, डीएफओ आवासों, कार्यालयों, सहायक वन संरक्षक क्वार्टरों आदि की मरम्मत आदि (₹ 1.99 करोड़)
16	उत्तराखण्ड	12.26	प्रधान सचिव के कार्यालयीन आवास का पुनरूद्धार (₹ 0.16 करोड़), आवासीय क्वार्टरों की मरम्मत (₹ 0.24 करोड़), पीसीसीएफ वीपी के लिए वाहनों की खरीद (₹ 0.05 करोड़) कार्यालय खर्चे (₹ 0.72 करोड़), ब्रिकेटिंग मशीन (₹ 0.13 करोड़), अटल आदर्श ग्राम योजना (₹ 4.99 करोड़), वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण तथा प्रचालन खर्चे (₹ 5.35 करोड़), मानदेय (₹ 0.62 करोड़)
17	पश्चिम बंगाल	0.18	फाउण्डेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी तथा वाहन किराए पर लिया जाना आदि।
	जोड	**51.93**	

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एनसीएसी की चौथी बैठक के बाद अननुमेय मदों की प्रतीति सूची के लिए कैम्पा निधियों के उपयोग का मामला उच्चस्तरीय समिति को भेजा गया है जिसमें कुछ राज्य सम्मिलित थे। इस विषय पर उच्च स्तर समिति की सिफारिशें एनसीएसी की अगली बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जानी थीं उसके बाद भारत के उच्चतम न्यायालय के इस बाबत अनुमोदन अपेक्षित होगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान आदेश तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रचालन को अनुमोदित वार्षिक योजनाओं में किसी परिवर्तन का प्रावधान नहीं करते हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कैम्पा निधियां अनुमोदित एपीओ के अनुसार वनों के विकास, अनुरक्षण तथा सुरक्षा और वन्यजीव प्रबन्धन के प्रति उपयोग की जानी थीं तथा व्यय के किसी विचलन का तदर्थ कैम्पा तथा एनसीएसी द्वारा पर्यवेक्षण और निगरानी की जानी थी। उपर्युक्त व्यय एनसीएसी मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में किया गया है।

4.8 राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदीकेन्द्र द्वारा कैम्पा रोपण की निगरानी

सैटलाइट डाटा का उपयोग कर कैम्पा रोपणों की वृद्धि का विश्लेषण करने का एक प्रयास किया गया। अन्तरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय दूरस्थ संवेद केन्द्र से पूर्व तथा पश्च रोपण दिनांक दूरस्थ संवेद डाटा का उपयोग कर विशिष्ट स्थलों पर रोपण कार्यकलाप की पहचान करने के लिए सम्पर्क किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान राज्य महालेखाकारों ने 2009–12 की अवधि के दौरान किए गए एक प्रयास रोपणों के लिए राज्य वन विभागों से रोपित स्थलों का जीपीएस कोआडीनेट तथा क्षेत्र एकत्रित किया। आरम्भिक विकास में युवा रोपण बहुत कमजोर फौलिएज (विशेष प्रजातियां) रखते हैं और उनके पूर्णतया स्थापित होने तक दूरस्थ संवेदी संकेत पूरी तरह ग्रहण नही करते हैं। इसलिए डाटा, जिसमें वर्ष 2009–10 में रोपण किया गया था, का चयन किया गया। केवल दो राज्यों छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा ने वर्ष 2009–10 में कैम्पा रोपण किया था।

रोपण के क्षेत्र तथा वृक्षो की संख्या के आधार पर, सेटलाइट इमेजरी के द्वारा 10 प्रतिशत रोपण स्थलों का चुनाव निगरानी के लिए किया गया। छत्तीसगढ़ में 10 और ओड़िशा में 3 रोपण स्थलों को चूना गया ।

इस प्रयोजन के लिए लगाई गई विशेषज्ञ एजेंसी एनआरएससी थी। इसमें[3] "सैटेलाइट इमेजरी" का प्रयोग करते हुए पौधों को ढूढ़ने की प्रक्रिया अपनाई एनआरएससी दलों ने छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में तीन जिलों (कोरबा, बिलासपुर तथा जंगीर चम्पा) के 13 स्थलों और ओडिशा में क्योंकर जिले के तीन स्थलों का दौरा भी किया।

[3]एनआरएससी द्वारा रोपण खोज मुख्यतया पांच मीटर आकाशीय निवेदन वाले रिसोर्ससैट–एलआईएसएस–IV का उपयोग कर की गई थी रोपणों के लिए दिए गए भूस्थानों के आधार पर हरित सत्र 2008–09 से संबंधित डिजिटली मर्जड नेचुरल कलर हुई हाई रिजोल्यूशन कम्पोजिट (कैरोटसैट –एलआईएसएस–IV) के मुक्त के भुवन इमेज डाटाबेस (इसरो निओविजुअलाइजेशन पोर्टल) की पूर्व रोपण/रोपण सत्र जहाँ कहीं आवश्यकता हुई, आवश्यताओं के लिए ऊपर उल्लेख किया गया, उन्हीं स्थानों के लिए 2012–13 के लिए तदनुरूपी एलआईएसएस-IV ग्रीन सीजन आर्थो–करेक्टेड इमेजेज 2008–09 की पूर्व रोपण अवधि के संदर्भ में रोपण वृद्धि के लिए एक से दूसरे की तुलना के लिए खरीदे गए थे। इस प्रकार रोपण वृद्धि की दृश्य व्याख्या दो समयावधि आकृतियों से की गई थी और अवलोकन दर्ज लिए गए थे।

13 चयनित स्थलों के लिए एनआरएसी के सामान्य अवलोकन कि रोपण कार्यकलाप 2009–10 के दौरान आरम्भ किए गए थे और 2011 में भी किए गए थे। अधिकतर पौधो की औसत ऊंचाई 1.5 मीटर के लगभग थी और वृद्धि एलआईएसएस–IV दृष्टांकन पर खोजे जाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा रोपण से पूर्व ढ़ंढी/मौजूद वनस्पति से वृद्धि की सुरक्षा तथा वानिकी प्रचालन विम्बाकन में स्पष्ट थे।

क्षेत्र अवलोकनों के आधार पर सूचित सामान्य अवलोकनों के अपवाद नीचे विस्तृत है :

4.8.1 चटटानी प्रभावन तथा अल्प वृद्धि

हर्दी, छत्तीसगढ़ में यह देखा गया कि टीक रोपण जून – जुलाई 2011 में किया गया था, पेडों की औसत ऊंचाई एक मीटर से कम थी, मध्य भाग में वृद्धि पांच से छः फीट होनी देखी गई और बहुत लम्बी घास भी देखी गई थी। उत्तरी क्षेत्र चटटानी प्रभावन था और अल्प वृद्धि देखी गई जबकि दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार 50 हैक्टेयर क्षेत्र में 1,16,500 पेड उगाए गए थे।

हर्दी, (छत्तीसगढ़) में टीक वृक्षारोपण

4.8.2 भारी जीवीय दबाव तथा गुम पौध

मरवाही – 1405, छत्तीसगढ़ में यह देखा गया था कि बहुत अधिक जीवीय दबाव था, गडढ़े देखे गए थे और क्षेत्र में कोई पौध नहीं थी।

यह पाया गया कि टीक वृक्षारोपण के लिए उचित स्थान की पहचान सही तरीके से नहीं होने के कारण पौधों की कम वृद्धि हुई।

उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा आपत्तियां 10 जुलाई 2013 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को जारी की गई। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है ।

4.9 व्यय मनरेगा के अनुसार नहीं

उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14 जुलाई 2009 के अनुसार कैम्पा निधियों का उपयोग कर कार्यों को कराते समय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा अपनाए गए व्यापक मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया जाना था और जहाँ तक सम्भव हो, निम्नतम मजदूरी स्तर कायम रख कार्य अधिकांशतः ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को आवंटित किया जाना था।

राज्य कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि नौ राज्यों/यूटी (आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल) में कैम्पा के अन्तर्गत किए जाने वाले क्षेत्रीय कार्यकलापों पर नियुक्त व्यक्तियों की संख्या से संबंधित डाटा बनाया नही गया था। इसलिए यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था और मनरेगा के मार्ग निर्देशों का पालन किया गया था। इसके अलावा कार्यान्वयक एजेंसी द्वारा रोपण कार्य कराने में ग्रामीण बेरोजगार युवकों का लगाया जाना दर्शाने के लिए अभिलेखों पर कुछ नहीं था। जम्मू कश्मीर के में यह देखा गया था कि मजदूरों को भुगतान आदाता लेखा चैक के स्थान पर नकद किए गए थे। इसके अलावा सात राज्यों[4] में श्रमिकों को मजूदरों का भुगतान करते समय मनरेगा मार्गनिर्देशों को अपनाया नहीं गया था। शेष 14 राज्यों /यूटी[5] ऐसे अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया। इसलिए इस संबंध में लेखापरीक्षा में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि इसका उत्तर राज्य सरकारों द्वारा दिया जाना चाहिए।

[4] दिल्ली, गुजरात, झारखण्ड, राजस्थान, ततिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड
[5] अण्डमान निकोबार, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, केरल, मध्यप्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पंजाब तथा सिक्किम

4.10 निगरानी तथा मूल्यांकन

उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29 अक्तूबर 2002 के अनुसार निधि का प्रभावी तथा उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सहमत निगरानी की एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित तथा प्रतिपूरक वनरोपण निधि के माध्यम से कार्यान्वित की जानी थी। जुलाई 2009 में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य कैम्पा को जारी राशि का पांच प्रतिशत राशि भी जारी की जाएगी और कैम्पा धन का उपयोग कर इस क्षेत्र में राज्य/यूटी में कार्यान्वित योजनाओं, संस्थाओं की स्थापना, समितियों, वन तथा वन्य जीव के क्षेत्र में श्रेष्ठता केन्द्र, प्राथमिक योजनाएं, इस क्षेत्र के लिए संहिताओं, मार्गनिर्देशों आदि का मानकीकरण की निगरानी और मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद द्वारा उपयोग की जाएगी। इसके अलावा अगस्त 2009 में अधिसूचित राज्य कैम्पा मार्गनिर्देश में भी निगरानी तथा मूल्यांकन[6] के लिए निधियों के दो प्रतिशत तक उदि‌दष्ट करने के लिए राज्य कैम्पा को प्राधिकृत किया गया।

4.10.1 राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद

जैसाकि 2 जुलाई 2009 के राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया, 13 अगस्त 2009 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के एक आदेश द्वारा राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद (एनसीएसी) का गठन किया गया था। दस अन्य सदस्यों के साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जानी थी।

31 मार्च 2012 तक ₹ 131.28 करोड़ की राशि एनसीएसी के खाते में अन्तरित की गई थी।

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार एनसीएसी को करना था:

- राज्य कैम्पा के लिए व्यापक मार्गनिर्देश निर्धारित करना,
- राज्यों के परामर्श से राज्य कैम्पाओं द्वारा आरम्भ की जा रहीं परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी तथा मूल्यांकन करना,
- बैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा अन्य सहायता, जिनकी राज्य कैम्पाओं द्वारा अपेक्षा की जाए, को सुगम बनाना
- उनकी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की समीक्षा के आधार पर राज्य कैम्पाओं को सिफारिशें करना।
- अन्तरराज्यीय अथवा केन्द्र राज्य प्रकृति के मामलों को सुलझाने के लिए राज्य कैम्पाओं को तन्त्र उपलब्ध कराना।

4.10.1.1 समन्वित कैम्पा सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली (ई ग्रीन वाच) का विकास

एनसीएसी ने तीसरी बैठक दिनांक 24 जून 2010 में समान्वित कैम्पा सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली (आईसीसीएमईएस) विकसित करने का सैद्धान्तिक अनुमोदन सूचित किया। पर्यावरण एवं वन

[6] निगरानी तथा मूल्यांकन पर व्यय प्रतिवर्ष खर्च की जाने वाली राशि के दो प्रतिशत की समग्र सीमा के अध्ययीन था।

मंत्रालय के अनुरोध पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को मध्यप्रदेश सरकार के साथ निकट रूप से कार्यरत प्रणाली विकसित करनी थी।

24 जनवरी 2012 को आयोजित चौथी बैठक में एनसीएसी ने आई–सीसीएमईएस (अब ई ग्रीन वाच कहा गया) को राष्ट्रव्यापीस्तर और एफसी मण्डल के लिए वेब आधारित प्रस्ताव निगरानी प्रणाली पर बदलने को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया। समिति ने माना कि योजनाओं के कार्यान्वयन में समय का निकल गया था। समिति को अपने विचार विमर्श पूर्ण करने थे और तीन महीनों की अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट भेजनी थी।

तदर्थ कैम्पा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि तदर्थ कैम्पा ने (i)समान्वित कैम्पा सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली (आई–सीसीएमईएस), अब ई – ग्रीन वाच के रूप में ज्ञात) और (ii)एफसी मण्डल के दिए वेब आधारित प्रस्ताव निगरानी प्रणाली के विकास के लिए सितम्बर 2010 से मई 2011 तक एन आई सी को ₹1.05 करोड़ की राशि जारी की थी। ये दोनों निगरानी प्रणालियां जो नवम्बर 2011 तक विकसित की जानी अपेक्षित थीं,अभी तक (जून 2013) विकसित नहीं की गई। इस प्रकार वनरोपण की कोई ऑनलाइन निगरानी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/तदर्थ कैम्पा द्वारा नहीं की जा रही थी। तदर्थ कैम्पा द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार यद्यपि ₹ 2,829.21 करोड़ की निधियां 31 मार्च 2012 तक विभिन्न राज्यों की जारी की गई थीं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/तदर्थ कैम्पा ने न तो वैब आधारित निगरानी प्रणाली अथवा ईग्रीन वाच आदि के माध्यम से किसी आनलाइन निगरानी तन्त्र का विकास करने में सफल हुआ और न ही कैम्पा निधियों से चलाई जा रही परियोजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की प्रत्यक्ष रूप से निगरानी करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ई–ग्रीन वाच के विकास की प्रगति और अन्य राज्यों को इसके अनुपयोग की लगातार निगरानी की जा रही है। अनेक राज्यों में कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए व्यापक योजना तथा समन्वय आवश्यक है और कुछ अधिक समय लगाना अपरिहार्य है। कैम्पा कार्यकलाप उठान चरण में हैं और कि निगरानी तथा मूल्यांकन विकास चरण पर हैं और समाधान के लिए उचित समय लगेगा। सूचना के लगातार आदान–प्रदान के लिए एक प्रोफार्मा तिमाही प्रगति रिपोर्टों और राज्यों में किए गए सभी कैम्पा आधारित कार्यों की जीआईएस पुष्टि के मध्यम से आरंभ किया गया है।

उत्तर प्रभावी नहीं है क्योंकि निधियों को जारी करने के मार्गनिर्देश जुलाई 2009 में जारी किए गए थे इसलिए 48 माह से अधिक की अवधि तक भी किसी निगरानी का विकास कार्यान्वयन न करने को उचित समय के रूप में नहीं माना जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अक्तूबर 2002 के आदेश में कहा गया कि सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन की एक स्वतन्त्र प्रणाली विकसित की जाएगी और निधियों का प्रभावी तथा उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिपूरक वनरोपण निधि के माध्यम से लागू की जाएगी इसके अलावा जैसा अधिकांश राज्यों द्वारा सूचित किया गया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ई –ग्रीन वाच को लागू न करने के कारण सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

4.10.2 राज्य कैम्पा द्वारा निगरानी

4.10.2.1 राज्य कैम्पा समितियों की अनियमित बैठकें

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले शासी निकाय को राज्य स्तर कैम्पा के कार्यचालन और समय समय पर इसके कार्यचालन की समीक्षा करने के लिए व्यापक नीति ढ़ाचा निर्धारित करना था। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली संचालन समिति को एपीओ का अनुमोदन करना था और राज्य कैम्पा द्वारा जारी निधियों के उपयोग की प्रगति की निगरानी करनी थी तथा इसकी छः माह में एक बार बैठक होनी थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति को राज्य कैम्पा को अमल में लाने और अतिप्रभार उद्देश्य तथा कोर प्रिंसीपल के लिए सभी कदम उठाने के लिए एपीओ तैयार करने थे और राज्य कैम्पा से जारी निधियों से राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण करना था।

राज्य कैम्पा /नोडल अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि राज्य कैम्पा के निकायों की बैठकें सभी राज्यों में नियमित अन्तराल में आयोजित नहीं की जा रही थीं जिनके कारण एपीओ को तैयार करना, निधियों के उपयोग का पर्यवेक्षण और कैम्पा निधि से चलाई जा रही परियोजनाओं की प्रगति आदि की राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अनुसार निगरानी नहीं की जा सकी। राज्य कैम्पा समितियों की बैठकों के राज्यवार ब्यौरे तालिका 35 में हैं।

तालिका 35 : राज्य कैम्पा समितियों की बैठकों के राज्यवार ब्यौरे

क्रं सं.	राज्य/यूटी	2009 –12 की अवधि के दौरान बैठकों की संख्या		
		शासी निकाय	संचालन समिति	कार्यकारी समिति
1	अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह	0	3	3
2	आंध्र प्रदेश	_	3	3
3	अरूणाचलप्रदेश	2	2	2
4	असम	0	1	2
5	बिहार	1	3	3
6	चण्डीगढ़	_	3	2
7	छत्तीसगढ़	_	4	7
8	दिल्ली	_	2	3
9	गोवा	0	2	3
10	गुजरात	_	2	4
11	हरियाणा	_	4	4

क्रं सं.	राज्य/यूटी	2009 –12 की अवधि के दौरान बैठकों की संख्या		
		शासी निकाय	संचालन समिति	कार्यकारी समिति
12	हिमाचलप्रदेश	0	7	4
13	जम्मू–कश्मीर	_	_	_
14	झारखण्ड	_	4	4
15	कर्नाटक	_	3	_
16	केरल	_	2	2
17	मध्यप्रदेश	_	2	7
18	महाराष्ट्र	_	3	13
19	मणिपुर	0	2	4
20	मेघालय	0	1	1
21	मिजोरम	0	1	1
22	ओडिशा	_	4	4
23	पंजाब	_	_	_
24	राजस्थान	1	2	2
25	सिक्किम	_	3	3
26	तमिलनाडु	_	2	2
27	त्रिपुरा	_	2	1
28	उत्तरप्रदेश	1	3	6
29	उत्तराखण्ड	1	3	_
30	पश्चिम बंगाल	0	3	7

(–) सूचना उपलब्ध नहीं दर्शाता है

तालिका 35 से यह देखा गया कि आठ राज्यों/यूटी में शासी निकाय की एक भी बैठक नहीं हुई जबकि 5 राज्यों/यूटी में बैठक हुई और 17 राज्यों/यूटी में बैठकों के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर किसी भी राज्य/यूटी की संचालन समिति की 2009–12 के दौरान छः बैठकों के प्रतिमान के प्रति चार से अधिक बैठक नहीं हुई। कार्यकारी समिति की बैठकें लगातार आयोजित नहीं की गई जिसके कारण ₹ 1,775.84 करोड़ की निधियों के उपयोग इन निधियों से कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण और राज्य कैम्पा के कार्यचालन के लिए व्यापक नीति ढ़ांचा प्रस्तुत करने की प्रगति की निगरानी पर्याप्त रूप से नहीं की जा सकी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि इस विषय पर सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है।

4.10.2.2 निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली का विद्यमान न होना

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के पैरा 17(1) के अनुसार उपलब्ध निधियों का उपयोग कर राज्यों में कार्यान्वित कार्यों की सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए एक स्वतन्त्र प्रणाली विकसित की जानी थीं। और निधियों का प्रभावी तथा उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित की जानी थीं।

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के पैरा 11(iii)के अनुसार प्रतिवर्ष खर्च की जाने वाली राशि के दो प्रतिशत की समग्र सीमा के अध्यधीन होगा।

राज्य कैम्पा/राज्य वन विभागों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि 30 राज्यों/यूटी में किसी में भी परियोजनाओं की निगरानी के लिए निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली विद्यमान नहीं थी। 2009 –12 के दौरान चार राज्यों[7] में निगरानी तथा मूल्यांकन पर केवल ₹ 4.39 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, अन्य राज्यों/यूटी ने कोई व्यय नहीं किया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि राज्यों/यूटी में परियोजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए उचित प्रणाली स्थापित की गई थीं

4.10.2.3 ई–ग्रीन वाच प्रणाली का कार्यान्वयन न किया जाना

सभी राज्यों में राज्य कैम्पा/नोडल अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि कर्नाटक राज्य को छोड़कर कैम्पा निधि से संबंधित डाटाबेस नेशनल इनफार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित ई–ग्रीन वाच वेबसाइट पर अद्यतन नहीं किया गया था। ई–ग्रीन वाच प्रणाली नवम्बर 2011 तक विकसित की जानी अपेक्षित थी परन्तु तदर्थ कैम्पा द्वारा सितम्बर 2010 से मई 2011 तक के बीच निक को ₹ 1.05 करोड़ की राशि जारी किए जाने के बाद भी प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। ई–ग्रीन वाच प्रणाली का कार्यान्वयन न करने के कारण निधि आवंटन, रोपण कार्य अनुमान, अन्यकार्य अनुमान, एफपीए परियोजनाएं, विपथित भूमि, सीए, भूमि प्रबन्धन,रोपण कार्य प्रगति रिपोर्ट आदि की आनलाइन जांच लाभार्थियों को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ई–ग्रीन वाच निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली में अधिक समय लग रहा था जिसके परिणामस्वरूप इसे नवम्बर 2011 में आंध्रप्रदेश तथा कर्नाटक में औपचारिक रूप से आरम्भ किया गया था और सम्बन्धित राज्य/यूटी की तैयारी की स्थिति के निर्धारण के बाद देश के सभी राज्यों/यूटी में परियोजना का प्रारम्भ करना प्रस्तावित था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 2006–12 की अवधि के दौरान परियोजनाओं की सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए कोई प्रणाली नहीं थी और कि अब भी यह केवल दो राज्यों में प्रारम्भ की गई है। अन्य राज्यों/यूटी में इसके प्रारम्भ के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। उच्चतम न्यायालय के अक्तूबर 2002 के आदेश में निधियों का प्रभावी तथा उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिपूरक वनरोपण निधि के माध्यम से विकसित तथा कार्यान्वित की जाने वाली सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन की एक स्वतन्त्र

[7]हरियाणा (रू. 2.72 करोड़), हिमाचल प्रदेश (रू. 0.04 करोड़), तमिलनाडु (रू. 1.34 करोड़) उत्तराखण्ड (रू. 0.29 करोड़)

प्रणाली की मांग रखी गई थीं। इसके अलावा जैसा कि अधिकांश राज्यों द्वारा सूचित किया गया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ई – ग्रीन वाच का कार्यान्वयन न करने के कारण सहमत निगरानी तथा मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

4.10.2.4 युवा तथा छात्रों की स्वैच्छिक गतिविधि

राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों के अतिप्रभार उददेश्यों तथा कोर सिद्धान्तों के अनुसार राज्य वन विभाग में आरंभ किए गए। चालू संरक्षण कार्यकलापों की सहायता करने के लिए युवा तथा छात्रों की स्वैच्छिक गतिविधि को भी राज्य कैम्पा प्रोत्साहित करेगा।

सभी राज्यों में 30 राज्य/यूटी कैम्पा/नोडल अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि छः राज्यों (गोवा,झारखण्ड,कर्नाटक,मणिपुर,मध्यप्रदेश तथा राजस्थान) ने स्वीकार किया कि उन्होने किसी युवा जागरूकता कार्यक्रम को नहीं अपनाया था जबकि अन्य राज्यों/यूटी ने इस विषय पर कोई उत्तर नहीं दिया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2013) कि उपर्युक्त सभी विषयों पर सम्बन्धित राज्यों द्वारा उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निगरानी एवं मुल्यांकन का व्यापक उत्तर दायित्व सौपां गया था।

4.11 निष्कर्ष

प्रतिपूरक वनरोपण कार्यकलापों के लिए 2009–12 के दौरान जारी सीएएफ की ₹ 2,925.65 करोड़ की राशि में से ₹ 1,149.81 करोड़ का अप्रयुक्त शेष छोड़ते हुए राज्यों/यूटी द्वारा केवल ₹ 1,775.84 करोड़ उपयोग किए गए थे। जारी निधियों के समग्र उपयोग की प्रतिशतता केवल 61 प्रतिशत थी जबकि 30 से चयनित राज्यों/यूटी में यह शून्य से 50 प्रतिशत की बीच रहा जिसने राज्यों/यूटी की खराब अवशोषी क्षमता को प्रदर्शित किया। अधिकांश राज्य/यूटी एपीओ की तैयारी में विलम्ब, निधियों के विलम्बित निर्गम के कारण तदर्थ कैम्पा द्वारा उन्हें जारी धन को खर्च करने में असमर्थ थे, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों में सीएएफ के संचय की प्रक्रिया की स्थापना हुई जो ऐसी समस्या थी जिसकी उच्चतम न्यायालय द्वारा समाधान किया जाना था।

सीए के संबंध में यह गम्भीर चिन्ता का मामला है कि असंगत स्थिति बन गई है। जबकि तदर्थ कैम्पा के पास सीएएफ में ₹ 23,607.67 करोड़ की निधियां पडी है परन्तु समीक्षा की अवधि के दौरान शामिल किए जाने को योजित गैर वन भूमि के केवल 44 प्रतिशत गैरवन भूमि पर और 49 प्रतिशत निम्नीकृत वन क्षेत्र पर सीए किया गया था।

तदर्थ कैम्पा ने अनुमोदित एपीओ की प्राप्ति के बिना 2009–10 में 18 राज्य/यूटी को 2009–10 में तथा 2010–11 के दौरान निधियां जारी कीं जिसने 13 राज्यों/यूटी को निधियां जारी करने में असावधानी तथा

उपयोग के प्रति लापरवाही प्रदर्शित की क्योंकि ये निधियां निर्धारित तथा अनुमोदित उददेश्यों के लिए उनका उपयोग सुनिश्चित किए बिना जारी की गई थीं। जारी निधियां कैम्पा तथा एनसीएसी मार्गनिर्देशों के अनुसार भी खर्च नहीं की गई थीं। प्रयुक्त निधियों में से ₹ 51.93 करोड़ की राशि 17 राज्यों/यूटी में अप्राधिकृत कार्यकलापों के प्रति उपयोग की गई थीं वनों के विकास, अनुरक्षण तथा सुरक्षा आ।र वन्यजीव प्रबन्धन के प्रति व्यय पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली निधियां प्रशासनिक खर्चों के लिए उपयोग की गई थीं। मनरेगा के अनिवार्य मार्गनिर्देशों का अधिकांश राज्यों/यूटी में कार्यों के निष्पादन के दौरान अनुपालन नहीं किया गया था।

कैम्पा निधियों का उपयोग कर राज्य/यूटी में कार्यान्वित योजनाओं के नियन्त्रण तथा मूल्यांकन के लिए नवम्बर 2011 में विकसित की जाने वाली राष्ट्रव्यापी "ई ग्रीन वाच प्रणाली" को शुरू करने में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय असफल रहा। "ई ग्रीन वाच प्रणाली" के कार्यान्वयन नही होने से निधि बटॅवारे की, वृक्षारोपण कार्यो के अनुमान, अन्य कार्यो के अनुमान, वन संरक्षण योजनाएं, विपथित भूमि, सीए, भूमि प्रबंधन, वृक्षारोपण कार्यो की प्रगति की रिपोर्ट आदि की सूचनाएं लाभार्थियों को "ऑनलाइन" उपलब्ध नही की जा सकी।